संख्या-8/2023/3155/77-6-2022-6002(099)/7/2021(पार्ट-3)

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 01 मार्च, 2023

विषय-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रू. 20,14,33,390.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-आई.आई.पी.एस./10/07-08/Vol.IV/1189 दिनांक 12.12.2022 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की 90 प्रतिशत धनराशि वितरित किए करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 20,14,33,390.00 (रूपये बीस करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी किए जाने की संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है। पात्र इकाईयॉ का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रूपये में)

क्रमांक	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	आहरित की जाने वाली धनराशि (स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत)
1	मे0 सुयश पेपर मिल्स, (यूनिट ऑफ सुयश केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर प्रा0लि0) बस्ती लिमिटेड जनपद-मथुरा	2018-19	2,59,85,184.00	2,33,86,666.00
2	मे0 देवयानी फूड	2019-20	6,66,01,091.00	5,99,40,982.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्डिस्ट्रज लि0 मथुरा			
3	मे0यू0ए0एल0-उत्तर प्रदेश(यू0ए0एल0 इण्डस्ट्रीज की इकाई) जौनपुर।	2017-18	4,99,38,831.00	4,49,44,948.00
4	मे0 विसाका इण्डस्ट्रीज लि0, रायबरेली।	2017-18	8,12,89,771.00	7,31,60,794.00
	योग-		22,38,14,877.00	20,14,33,390.00 (रूपये बीस करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र)

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.100.00 करोड़ (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त इकाईयों को वितरित किए जाने हेतु कुल धनराशि रू0 20,14,33,390.00 (रूपये बीस करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे आहरित कर जमा की जाएगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- पिकप द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।

5- स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

8- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

9- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

10- यदि इन इकाईयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।

11- पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

12- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

13- यदि पिकप द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो पिकप द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।

14- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

15- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- पिकप द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,14,33,390 (रुपये बीस करोड़ चौदह लाख तैंतीस हजार तीन सौ नव्वे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 6885011900600 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-123-X-2022-23 दिनांक 10-1-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव।

संख्या-8/2023/3155(1)/77-6-2022-6002(099)/7/2021(पार्ट-3),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

3- अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप को पत्रांक-आई.आई.पी.एस./10/07-08/Vol.IV/1189 दिनांक 12-12-2022 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

7- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

10- नियोजन अनुभाग-1/4

11- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।